



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 174/2018**

**अपीलार्थी**

सुरेश कुमार योगी  
ग्राम कालीघाटी] जोगियों का  
मोहल्ला] आमेर]  
जयपुर, राजस्थान

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**  
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
शासन सहायक सचिव  
राजस्थान सरकार खान गुरुप 2,  
विभाग, जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 12-03-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय दुबे, अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 7-4-17 के द्वारा परिवाद संख्या 371/2077 दिनांक 2-2-17 की जांच रिपोर्ट, दैनिक प्रगति रिपोर्ट आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र दिनांक 16-5-17 से वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 4-12-17 से खारिज की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-2-18 एवं 20-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र दिनांक 16-5-17 से एक पृष्ठीय सूचना संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है। यह भी अंकित किया है कि प्रकरण में जांच अभी प्रक्रियाधीन है।
7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 26-2-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें कार्यवाही जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाई जावे।
8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखादि से स्पष्ट है कि जांच अभी प्रक्रियाधीन है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय विधिसंगत है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रक्रिया दिनांक 26-2-18 बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)

मुख्य सूचना आयुक्त